सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

विभागीय योजनाओं की जानकारी

विभाग की संचालित योजनाओं की जानकारी

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1.इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2.इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3.इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4.राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम

1.समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
2.बहु विकलांग/मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
3.मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
4.मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना
5.मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
6.मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
7.मुख्यमंत्री निकाह योजना
8.मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
9.निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
10.दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं
11.दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
12.शत–प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना
13.दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा मे दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
14.दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
15.दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
16.दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को उनकी पात्रतानुसार प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु0 200/– केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 400/– (राज्यांश) इस प्रकार कुल रू. 600/–प्रतिमाह प्रति हितग्राही

80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु0 500/– केन्द्रांश एवं रू0 100/– राज्यांश इस प्रकार कुल रू. 600/–प्रतिमाह प्रति हितग्राही

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की गई है।

योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को प्रतिमाह रु. 300/– केन्द्रांश एवं रू. 300/– राज्यांश इस प्रकार कुल रू. 600/–प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की गई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के नि:शक्तजन जिनकी नि:शक्तता नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत 80 प्रतिशत नि:शक्तता होना चाहिए, को प्रतिमाह रु. 300/– केन्द्रांश एवं रू. 300/– राज्यांश इस प्रकार कुल रू. 600/– प्रतिमाह प्रति हितग्राही भुगतान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है।
इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य (स्त्री/पुरूष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20,000/–की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य शासन द्वारा वर्ष जनवरी 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है । पात्रता के मापदण्ड

मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो

60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध

18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा (कल्याणी)

50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता

18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्ता महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों।

6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो को 'दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि'

18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है एवं जो आयकरदाता न हो।

पेंशन की दर : रुपये 600/– प्रतिमाह

बहु विकलांग/मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

यह योजना दिनांक 18.6.2009 से प्रारंभ की गई है।
मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी एवं बहुविकलांग को रूपये 600/– प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

यह योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है।

मध्यप्रदेश के ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं है, तथा हितग्राही आयकरदाता न हो, को 600/– रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना

म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–3–5/ 2018/26–2 दिनांक 03.05.2018 द्वारा प्रदेश में निवासरत कल्याणी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना' प्रारंभ की गई है। योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी जो आयकरदाता न हो, को प्रतिमाह रूपये 600/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

योजनांतर्गत पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है :–

- कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो,
- कल्याणी आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो,
- कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो,
- कल्याणी अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो,

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–3–9/ 2018/26–2 दिनांक 01.10.2018 द्वारा प्रदेश में निवासरत 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना' प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अविवाहित महिला जो आयकरदाता नहीं है एवं जिसकी आयु 50 वर्ष या अधिक हो, को प्रतिमाह रूपये 600/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

योजनांतर्गत पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है:–

- अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,
- अविवाहित महिला की न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो,
- अविवाहित महिला आयकरदाता न हो,
- अविवाहित महिला शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो
- अविवाहित महिला शासकीय/अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो
- अविवाहित महिला को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो,

मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना'' 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

सहायता शासन आदेश दिनांक 14.01.2019 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना में निम्नानुसार संशोधन किये गये है :–

शासन आदेश दिनांक 18.12.2018 की कण्डिका 1 में वर्णित सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थिति अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को रूपये 3000/–प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रूपये 48000/–संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में जमा कराई जाये।

मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरुरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से प्रभावशील की गई है । योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रुपये 51,000/– प्रदान की जाती है। जिसमें 48000 रूपये कन्या के बचत खाते में तथा 3000 रूपये आयोजक के खाते में जमा कराये जाते है।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

म.प्र.शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–3–5/2018 /26–2 दिनांक 03.05.2018 द्वारा प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना' प्रारंभ की गई है। योजना के तहत कल्याणी के विवाह उपरांत रूपये 2.00 लाख की राशि का प्रावधान रखा गया है।

योजनांतर्गत पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है :–

- कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो,
- विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो,
- कल्याणी आयकरदाता न हो,
- कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/ अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों से है)

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 12.8.2008 से प्रारंभ की गई है। दम्पत्ति में से एक दिव्यांग तथा एक सामान्य होने पर रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख) प्रोत्साहन राशि दी जायेगी एवं दोनों के दिव्यांग होने पर रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) एक मुश्त सहायता राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना पर होने वाला व्यय निराश्रित निधि से किया जाता है, यदि दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह करता है तो रूपये 51,000/– अतिरिक्त सहायता दिये जाने के प्रावधान भी है।

मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

सहायता का स्वरूप निःशक्तता की श्रेणी दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं मंदबुद्धि लेपटॉप 9वीं में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार) अस्थिबाधित लेपटॉप 9वीं में प्राप्तांक 60 प्रतिशत होने पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार) अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60 प्रतिशत निःशक्तता) मोट्रेट ट्रायसिकल (बैटरी चलित) 10 वीं प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर (एक ही बार)

नोट : दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा 10 में प्रवेश लेने पर एक बार लेपटाप प्राप्त करने पर आईटीआई में प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं आयेगी।

निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना

योजना का उद्देश्य ऐसे निःशक्त छात्र/छात्राऐं, जो कक्षा 11वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर तथा जिन्हें विद्यालय/महाविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में न्यूनतम 5 छात्र के लिए निजी भवन किराये पर लेकर छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसका व्यय भार सामाजिक न्यायएवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जावेगा। यह योजना दिनांक 8.9.2008 से प्रभावशील है।

नोट :– निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुर्नवास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित सभी शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित योजना में पात्रता के मापदण्ड में आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है।

मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता

परिवहन भत्ता योजना राज्य सरकार द्वारा अपने साधनोंसे मध्यप्रदेश निवासी निःशक्त छात्र/छात्राओंको 10+2की शिक्षा के पश्चात मेडिकल, इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में ली जाने वाली शिक्षण शुल्क के बराबर शिक्षण शुल्क तथा रूपये 1500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये निर्वाह भत्ता एवं स्नातक पश्चात् ऐसे पाठ्यक्रमो में स्नाकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिये नगर निगम क्षेत्र में रूपये 500/– प्रतिमाह नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये परिवहन भत्ते का भुगतान सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के माध्यम से किया जाता है।

निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना

योजना का उद्देश्य 2–2 अस्थिबाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं, 2–2 श्रवण बाधित एवं 2–2 दृष्टि बाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं अर्थात् कुल 12 चयनित निःशक्त विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विदेश में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (पीएचडी) एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह योजना 12.8.2008 से प्रभावशील की गई है।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

निःशक्त अभ्यार्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन के लिए ''सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2008'' दिनांक 8.8.2008 से प्रारंभ की जाकर प्रभावशील है। उक्त योजना में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने पर प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20000/–मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 30000/– तथा अंतिम चयन होने पर रूपये 20000/– प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदान योजना एवं शल्यक्रिया उपचार सहायता

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995) की धारा 42 में निःशक्त व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः निःशक्त व्यक्ति की पहचान कर उनकी शल्य चिकित्सा, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण आदि उपब्ध कराने के उद्देश्य से निःशक्त व्यक्ति जिन्हें अपना कार्य करने के लिये विशेष साधन/उपकरण की आवश्यकता हो, को चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उनकी कार्यक्षमता बढाये जाने के उद्देश्य से निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है। जिसमें ट्राईसाइकिल, वैसाखी, कैलीपर्स, व्हीलचेयर एवं श्रवण यंत्र आदि है।

धन्यवाद...